कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.भूप्रआ / समु / आरआर / 11 / 2 / 4 / 09–10 / जयपुर, दिनांकः

भू–प्रबन्ध अधिकारी
कोटा

विषयः– तहसील किशनगंज जिला बारां की बन्द की अधिसूचना भिजवाने बाबत।
संदर्भः– राजस्व (ग्रुप–1) विभाग का पत्रांक प.13(34)राज. / ग्रुप–1 / 2009 दिनांक 21.02.2017 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जारी तहसील किशनगंज, जिला बांरा के ग्रामों की बन्द की अधिसूचना धारा–106, 107 एवं 108 दिनांक 21.02.2017 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। उक्त ग्रामों का नवीन अभिलेख 15 दिवस में जिला कलक्टर को सुपुर्द कर सूचना मुख्यालय को भिजवावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

sd/-
(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति. भू–प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प. / समसंख्यक / 592 जयपुर, दिनांकः 06/3/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रोग्रामर, मुख्य कार्यालय, जयपुर को अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित है।
2. प्रभारी, डीआईएलआरएमपी प्रकोष्ठ, मुख्य कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।

sd/-
अति. भू–प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

Mathur

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प0 13(34)राज.1/2009 जयपुर, दिनांक 21 FEB 2017

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम सं. 15) की धारा 106 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि तहसील किशनगंज, जिला बारां के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांक प0 13(15)राज–1/2002 दिनांक 28.05.2009, प0 13(4)राज–1/2010 दिनांक 29.06.2010 एवं प0 13(16)राज–1/2011 दिनांक 15.12.2011 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 53 (सूची संलग्न अनुसार) ग्रामों का सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से उक्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

संलग्नः– 53 ग्रामों की सूची।

राज्यपाल की आज्ञा से

(दुर्गा जोशी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, बारां।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/4/2009–10/3684 दिनांक 18.10.2016 के क्रम में।
4. अधीक्षक केन्द्रीय मुद्राणालय, राजस्थान जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूवना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

कार्यालय भू-प्रबन्ध विभाग
राज.,
पत्र-प्राप्ति
02 MAR 2017
क्रमांक 172

संयुक्त शासन सचिव

RR
2/3/2017

FROM :B S C R JAIPUR FAX NO. :0141 2361687 Jan. 01 2005 01:23AM P1

संलग्न-1

तहसील किशनगंज जिला बारां के द्वितीय चरण के 53 ग्रामों की सूची जिनकी भू-प्रबन्ध संक्रियाएँ बन्द करायी जानी हैं।

क्रम सं.	नाम ग्राम	क्रम सं.	नाम ग्राम
1.	करीरिया	28.	दीगोदा
2.	कुंजी	29.	खैरपुर
3.	बालोन	30.	कामनदेह
4.	जलवाड़ा	31.	बिलासगढ़
5.	खांखरा	32.	धुनवाया
6.	जगदीशपुरा	33.	थाना
7.	हरि का खेड़ा उर्फ गींगची	34.	शाहपुरा
8.	बलदेवपुरा उर्फ डोब	35.	किशनपुरा
9.	लखडाई	36.	बांदीपुरा
10.	गोरधनपुरा उर्फ बांसआमली	37.	पजारा
11.	किशनाईपुरा	38.	जनकपुरा
12.	बिसलाई	39.	महताबपुरा
13.	भंवरगढ़	40.	झोनेड़ा
14.	लक्ष्मीपुरा उर्फ कुखाला	41.	फतेहपुरा
15.	दुर्जनपुरा	42.	माधोपुरा
16.	गींगच्या	43.	मोहहरी
17.	रनवासा	44.	नीम खेड़ा
18.	पीपलखेड़ी	45.	मोभदा
19.	डुंगर	46.	दहतरगंज
20.	लक्ष्मीपुरा (सेमली)	47.	कालीमाटी
21.	देवपुरा	48.	भैरूपुरा
22.	कनवाड़िया	49.	दौलतपुरा
23.	गींद पहाड़ा	50.	नलदी
24.	मौज	51.	गोरधनपुरा
25.	बम्बोरी	52.	नाहरगढ़
26.	रम्यावदा	53.	श्रीपुरा
27.	हरिपुरा		

भू-प्रबन्ध अधिकारी
बारां

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प0 13(34)राज.1/2009 जयपुर, दिनांक 21 FEB 2017

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम सं. 15) की धारा 107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि तहसील किशनगंज, जिला बारां के समस्त ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण का कार्य अधिसूचना क्रमांक प0 13(15)राज–1/2002 दिनांक 28.05.2009, प0 13(4)राज–1/2010 दिनांक 29.06.2010 एवं प0 13(16)राज–1/2011 दिनांक 15.11.2011 से प्रारम्भ किया गया था तथा निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी कोटा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 53 ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से (धारा 106 की अधिसूचना में वर्णितानुसार) उक्त ग्रामों के अभिलेखो का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित करते हुए अपर भू–अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(दुर्गा जोशी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, बारां।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/4/2009–10/3684 दिनांक 18.10.2016 के क्रम में।
4. अधीक्षक केन्द्रीय मुद्राणालय, राजस्थान जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

168